अति महत्वपूर्ण

संख्या-5/2025/05/सैतालीस-का-5-2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊः 17-01-2025

विषयः- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ') वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-07/2023/293/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2- शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य वर्ष 2023-2024 से अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा है, तथा राज्याधीन सेवाओं के समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों में संबंधित कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध कराने तथा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित किये जाने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध संबंधित कार्मिक द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने एवं उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किये जाने के संबंध में निर्धारित तिथि / समयावधि संबंधी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 से वार्षिक प्रविष्टि (ACR) मानव सम्पदा पोर्टल यू०आर०एल०

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ehrms.upsdc.gov.in पर आनलाइन दाखिल किये जाने के संबंध में पत्र संख्या-63/सैतालीस-का-5-2024-(1788429), दिनांक 24.02.2024 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने हेतु निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1) आलोच्य वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रविष्टियाँ Online लिखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित Time line निम्नवत निर्धारित की जाए:-

(I) Work flow दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक अनिवार्य रूप से जेनरेट कर दिया जाए।

(II) समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या दिनांक 31 मई, 2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाएगी। समूह 'घ' के कार्मिकों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी, अपितु उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत उनकी वार्षिक प्रविष्टि अंकित कर दी जाएगी।

(III) प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी क्रमशः 31 जुलाई, 30 सितम्बर तथा 31 दिसंबर तक अपना-अपना मन्तव्य अंकित करेंगे।

(IV) वार्षिक प्रवृष्टियों का Disclosure दिनांक 31 दिसम्बर तक रहेगा।

(2) संबंधित अधिकारियों के Signature हेतु e-sign / Digital Signature तथा Mobile से OTP आधारित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(3) वर्ष 2023-24 में वार्षिक प्रविष्टियों को Auto Forward किए जाने की व्यवस्था नहीं की गयी थी, परन्तु आलोच्य वर्ष 2024-25 से प्रविष्टियों के अंकन में Auto Forward की व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी अर्थात् निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत क्रमशः स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता का मन्तव्य अंकित न करने पर प्रश्नगत प्रक्रिया अगले स्तर हेतु स्वतः अग्रेनित (Auto Forward) हो जाएगी और संबंधित अधिकारी को अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने / मन्तव्य अंकित करने का अवसर स्वतः समाप्त हो जाएगा, तथा स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था कालबाधित (Closed) हो जाएगी।

(4) पी०सी०एस० अधिकारियों के लिये प्रविष्टि की व्यवस्था पूर्व की भांति Sparrow के माध्यम से रहेगी।

(5) समूह 'ग' एवं 'घ' की वार्षिक प्रविष्टियां के स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित स्तर के अनुसार पोर्टल पर एन०आई०सी० द्वारा तदनुसार व्यवस्था की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- वर्ष 2024-25 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु उक्त निर्धारित समय सारिणी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी तथा ऑफलाइन / अन्य किसी माध्यम से प्रविष्टि ग्राह्य नहीं होगी। उक्त के संबंध में यह अपेक्षा की जाती है कि पोर्टल के माध्यम से वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु उपरोक्त निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गोपनीय प्रविष्टि विषयक आदेशों के शेष प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in